

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3517

उत्तर देने की तारीख : 17.12.2024

राष्ट्रीय न्यास द्वारा निःशक्तता संबंधी आँकड़ें और पहलें

3517. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) 2011 की जनगणना द्वारा कितने निःशक्तजनों की पहचान की गई है;
- (ख) राज्यवार कितने लोगों को निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं;
- (ग) राज्यवार कितने लोगों को यूडीआईडी (विशिष्ट निःशक्तता पहचान-पत्र) कार्ड जारी किए गए हैं;
- (घ) राष्ट्रीय न्यास द्वारा वर्ष 2000 से अब तक कितने संरक्षक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं; और
- (ङ) क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय न्यास के कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 2.68 करोड़ व्यक्तियों की पहचान दिव्यांगजन के रूप में की गई है।

(ख) से (ग) : आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 57 के अनुसार, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण राज्य सरकार है। 2017 में यूडीआईडी परियोजना शुरू होने से पहले, सभी राज्य मैनुअल रूप से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे। मैनुअल दिव्यांगता प्रमाणपत्रों का राज्य-वार डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। 12.12.2024 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जारी किए गए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्डों का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए कुल कार्ड
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	6287
2.	आंध्र प्रदेश	964836
3.	अरुणाचल प्रदेश	4010
4.	असम	217324
5.	बिहार	559913
6.	चंडीगढ़	11166
7.	छत्तीसगढ़	256512
8.	दिल्ली	82175

9.	गोवा	11082
10.	गुजरात	435458
11.	हरियाणा	201697
12.	हिमाचल प्रदेश	99642
13.	जम्मू और कश्मीर	205029
14.	झारखंड	190159
15.	कर्नाटक	828714
16.	केरल	361447
17.	लद्दाख	3781
18.	लक्षद्वीप	1056
19.	मध्य प्रदेश	902587
20.	महाराष्ट्र	1186285
21.	मणिपुर	13691
22.	मेघालय	32245
23.	मिजोरम	6240
24.	नागालैंड	3139
25.	ओडिशा	752497
26.	पुदुचेरी	21970
27.	पंजाब	358096
28.	राजस्थान	555480
29.	सिक्किम	5184
30.	तमिलनाडु	855514
31.	तेलंगाना	775294
32.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	4044
33.	त्रिपुरा	38012
34.	उत्तर प्रदेश	1425217
35.	उत्तराखंड	96559
36.	पश्चिम बंगाल	60162
	कुल	1,15,32,504

(घ): उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 13(2) के तहत गठित स्थानीय स्तर की समितियों, जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं, द्वारा 72,159 कानूनी संरक्षकता प्रमाण पत्र (12 दिसंबर, 2024 तक) जारी किए गए हैं।

(ङ): विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
